5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 69 / 2021 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सीताराम पि. गजानन्द जाति कुर्मी नि. धरोनिया तहसील पिड़ावा

– प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पि. भवानीराम जाति कुर्मी नि. धरोनिया तहसील पिड़ावा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री महेन्द्रसिंह जैन

वकील अप्रार्थी – श्री विनोद जैन

निर्णय दिनांक : 31/07/2024

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता धारा 251 ए रा. टी.एक्ट. के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 658 रकबा 0.1518 हेक्टर भूमि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी की होकर प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की है। ख.नं. 658 पर आने जाने का रास्ता गै.मु.सरकारी रास्ता ख.नं. 679 से ख.नं. 673 गै.मु.चाह दर्ज सरकार में होकर अप्रार्थी के ख.नं. 657 के दक्षिण में होकर रहा है। ख.नं. 673 पंचायती कुंईया तक रास्ता मौजूद है परन्तु अप्रार्थी ने ख.नं. 657 के दक्षिण पश्चिम कोने में दो कमरे की दीवार बना ली है एवं रास्ते को हांक कर खेत में मिला दिया जिससे प्रार्थी का ख.नं. 658 में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है।

प्रार्थी सनातन से उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग व उपभोग करता चला आया है परन्तु अप्रार्थी ने रास्ता बंद कर दिया है जिस कारण प्रार्थी द्वारा श्रीमान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार पिडावा को रास्ता खुलासा करने हेतु आदेशित किया गया था जिस पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका देखा जिसमें ख.नं. 658 में आने जाने का रास्ता बंद है एवं खेत में बुवाई नहीं हुई। ख.नं. 657 व अन्य नम्बरो में तार फेंसिंग हो रही है एवं समझाईश के बाद भी अप्रार्थी रास्ता देने हेतु सहमत नहीं हुआ।

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम घरोनिया की आराजी ख.नं. 658 पर पहुँचने के लिये ख.नं. 657 की दक्षिण मेड़ पर पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस एवं ग्राम घरोनिया की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 688, 53, 1 की प्रति एवं मौका रिपोर्ट दि. 07.07.2021, दि. 19.07.2021, दि. 04.09.2021 एवं प्रार्थना पत्र दि. 18.06.2021 की प्रतियां प्रस्तुत की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री विनोद जैन ने वकालातनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जिस जगह पर रास्ता चाह रहा है, वहां ख.नं. 657 में दक्षिणी कोने पर 2 पक्के कमरे टीनशेड के बने हुये है तथा पश्चिमी कोने पर सरकारी कुईया स्थित है। प्रार्थी का ख.नं. 658 पर आने जाने का रास्ता कभी भी ख.नं. 657 जो अप्रार्थी का है, में होकर नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है। प्रार्थी का सदैव से आने जाने का रास्ता ख.नं. 668 की मेड़ एवं ख.नं. 669 में होकर रहा है। ख.नं. 669 प्रार्थी के परिवार का ही है लेकिन प्रार्थी मात्र नुकसान पहुँचाने के लिये यह नया रास्ता अप्रार्थी के मकान व कुईया से होकर, ख.नं. 657 की फसल को नुकसान पहुँचाने हेतु चाह रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया नया रास्ता 300–350 फीट लम्बा है जबकि सनातन से उपयोग में आ रहा रास्ता मात्र 75 फीट लम्बा है। मौके की स्थिति अनुसार भी प्रार्थी किसी भी प्रकार का रास्ता पाने का पात्र नहीं है। प्रार्थी द्वारा समस्त खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पिड़ावा से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिड़ावा की ओर से पटवारी हल्का की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट एवं डीएलसी की दर प्राप्त हुई। रिपोर्ट दिनांक 10.09.2022 के अनुसार ग्राम घरोनिया के ख.नं. 657 के कोने पर दो कमरे बने हुये है जिस पर छत डालना शेष है। प्रार्थी द्वारा ख.नं. 657 चाहा गया प्रस्तावित रास्ता लम्बाई में 215 फीट है। ख.नं. 669 में होकर जाने वाला वैकल्पिक रास्ता लम्बाई में 99 फीट है। वस्तु स्थिति की रिपोर्ट नजरी नक्शे में दर्शायी है।

अप्रार्थी की ओर से घनश्याम पि. मोतीलाल, रामप्रसाद पि. नन्दराम एवं रामदयाल पि. प्रभूलाल के शपथ पत्र पेश किये गये।

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं तहसीलदार पिड़ावा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं विद्वान उभयपक्ष वकील की बहस पर गौर किया गया। प्रकरण मे यह पाया कि प्रार्थी की ग्राम सरोनिया की अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 658 मे आने जाने के लिये अप्रार्थी की ख.नं. 667 में होकर मांगा गया रास्ता लम्बाई में 215 फीट है तथा ख.नं. 669 में होकर जाने वाला वैकल्पिक रास्ता लम्बाई में 99 फीट है। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजी पर ख.नं. 669 में होकर सुगम एव छोटा रास्ता का विकल्प है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर आ जा सकता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner